ढोल-डीजे और ताशों की गूंज के साथ निकला चल समारोह, जगह-जगह हुआ पुष्पवर्षा से स्वागत

लव-कुश जयंती पर कुशवाह समाज ने निकाली भव्य शोभायात्रा

मनासा। मंदिरों की नगरी मनासा में शनिवार को कुशवाह समाज द्वारा भगवान लव-कुश जयंती श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर कुशवाह समाज द्वारा भगवान लव-कुश की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन, युवा साथी शामिल हुए। शोभायात्रा दोपहर करीब 11 बजे कुशवाह मोहल्ला स्थित कुशवाह धर्मशाला से प्रारंभ हुई। यहां से समाजजन भगवान लव-कुश की जय-जयकार करते हुए शोभायात्रा में शामिल हुए।

शोभायात्रा के कुशवाह समाज मंदिर पहुंचने पर ठाकुर जी की आरती की गई, जिसके बाद चल समारोह नगर भ्रमण के लिए रवाना हुआ। शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों से होते हुए सोमनाथ मंदिर, रामपुरा नाका सहित विभिन्न मार्गों से गुजरी। चल समारोह में घोड़े की लगाम थामे भगवान लव-कुश की वेशभूषा में सजे युवक शोभायात्रा में आगे चल रहे थे। वहीं चल समारोह में ठाकुरजी का बेवाण भी शामिल रहा। धार्मिक भजनों एवं डीजे पर बज रहे भक्तिमय गीतों के बीच समाजजन उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। शोभायात्रा के दौरान कुशवाह समाज के युवा बड़ी संख्या में उत्साह के साथ शामिल हुए। समाजजनों ने भगवान लव-कुश के जयकारे लगाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। नगर के विभिन्न स्थानों पर समाजजनों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुष्पवर्षा के माध्यम से शोभायात्रा का स्वागत किया गया। करीब 3 बजे शोभायात्रा पुनः कुशवाह समाज मंदिर पहुंची। यहां भगवान लव-कुश की महाआरती की गई। महाआरती के पश्चात समाजजनों एवं श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया।

शोभायात्रा में गोरिल्ला बना आकर्षण का केंद्र- भगवान लव-कुश जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा में गोरिल्ला की वेशभूषा में शामिल व्यक्ति विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। शोभायात्रा के दौरान गोरिल्ला को देखकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया, वहीं युवा और अन्य लोग भी उसे देखने के लिए रुकते दिखाई दिए। गोरिल्ला ने शोभायात्रा में शामिल लोगों के साथ मनोरंजन करते हुए माहौल को और भी रोचक बना दिया। कई लोगों ने गोरिल्ला के साथ फोटो खिंचवाए और इस अनोखे आकर्षण का आनंद लिया। धार्मिक एवं सामाजिक रंग से सजी शोभायात्रा में गोरिल्ला की मौजूदगी ने आयोजन में एक अलग ही आकर्षण जोड़ दिया।

युवाओं ने समाज को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लिया संकल्प- कुशवाह समाज द्वारा समाज के विकास एवं युवाओं को एकजुट कर समाज को मजबूत बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को स्वस्थ, शिक्षित एवं संगठित बनाकर सामाजिक विकास की नई दिशा तैयार करना है। इस अवसर पर समाज के युवा साथी राहुल कुशवाह ने कहा कि समय के साथ समाज को जागरूक और संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुराने समय में लव और कुश की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं पाया, उसी प्रकार आज भी समाज के युवाओं को आपसी एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समाज में एकजुटता होगी तो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में मजबूती आएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि समाजहित के कार्यों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करें और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जागरूकता सहित विभिन्न क्षेत्रों में समाज को आगे ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवा साथी एवं समाज के वरिष्ठजन उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने ली नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन की बैठक

धार। जिले में नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन को नियंत्रित करने तथा युवा पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में पुलिस सभाकक्ष में जिला स्तरीय नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन (NCORD) की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों तथा सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए पूरे जिले में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए सामाजिक चेतना एवं सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। कलेक्टर श्री मीना ने शिक्षण संस्थानों के वातावरण को सुरक्षित एवं नशामुक्त बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए स्कूल एवं कॉलेजों में नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता एवं रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग को शैक्षणिक परिसरों में विशेष नशामुक्ति अभियान संचालित करने तथा विद्यार्थियों को खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित करने को कहा। साथ ही बिना अनुमति के नशीले पौधों की खेती अथवा रोपण की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने तथा अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार एवं नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ निरंतर कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने कहा कि नशे से संबंधित संदिग्ध गतिविधियां होने की संभावना वाले स्थानों पर निगरानी रखे। कही कोई इस प्रकार की अवैध गतिविधियां पाए जाने पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इसकी सूचना प्रशासन को दे। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्व. राजेंद्र दादू की जयंती पर हरियाली और सेवा का संदेश, 551 पौधे रोपेंगे

नेपानगर। स्वर्गीय विधायक राजेंद्र दादू की 64वीं जन्म जयंती को नेपानगर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा से जोड़कर मनाया जाएगा। आज रविवार को एक ओर जहां 551 पौधों का रोपण किया जाएगा, वहीं खकनार में रक्तदान शिविर का आयोजन भी होगा।वार्ड क्रमांक 21 में ताप्ती कुंड से वॉटर फिल्टर प्लांट तक 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले इस अभियान में 551 पौधे रोपे जाएंगे। पौधारोपण के लिए चुना गया मार्ग भी कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप देगा और जयंती के अवसर को हरियाली से जोड़ने का संदेश देगा। इस दौरान विधायक मंजू राजेंद्र दादू, नगर पालिका उपाध्यक्ष सरला प्रवीण काटकर सहित भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहेंगे।

सुबह रक्तदान, दोपहर में पौधारोपण: जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों की शुरुआत सेवा कार्य से होगी। खकनार के सांईधाम मंदिर में सुबह 10:30 बजे से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर में नेपानगर में पौधारोपण अभियान चलेगा।इस तरह स्व. राजेंद्र दादू की स्मृति में आयोजित जन्म जयंती कार्यक्रम को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय मानव सेवा और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। एक ओर रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए सेवा का संदेश दिया जाएगा, तो दूसरी ओर 551 पौधों के माध्यम से हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा।

पलसूद में निकाली रैली, 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देने की चेतावनी

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश

कमलेश सोनी पलसूद। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आक्रोश रैली निकालकर सरकार को घेरा। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए दामों में तत्काल कमी की मांग की।

पुलिस थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन -रैली सिलावद रोड स्थित गिरीश जायसवाल के निवास से शुरू होकर पुलिस थाने पहुंची। यहां कांग्रेस पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर परिवहन तक सभी चीजें महंगी हो गई हैं। शक्कर और गुड़ की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण किया जाए पेट्रोल-डीजल के दाम कम किए जाएं, बढ़ा हुआ बस किराया तत्काल वापस लिया जाए, बिजली बिलों में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करेगी। रैली में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनेश गोले, गिरीश जायसवाल, राजेंद्र सोनी, सरदार चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मसरा अलावे, जगदीश धनगर, जितेंद्र जमरें, कालू नायक, उमेश पिपलौदे, आकेश सैनानी, सीताराम चितावले, सादिक शेख, राजेश खरते शीला अलावे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

धार शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई वादाखिलाफी स्मरण मार्च का आयोजन आज

धार। बढ़ती महंगाई और शासन की वादाखिलाफी के विरोध में धार शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 30 अगस्त को एक विशाल महंगाई वादाखिलाफी स्मरण मार्च का आयोजन किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश सिंह पटेल ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन दोपहर 12.30 बजे मोहन टॉकीज चौराहे से शुरू होगा, जो मोहन टॉकीज चौराहे से प्रारंभ होकर धानमंडी, आनंद चौपाटी और मध्य राजवाड़ा चौक होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा स्थल पहुंचेगा, जहां इसका समापन किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश सिंह पटेल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं और समस्त कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में समय पर उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है।

12 वर्षों से लगातार निभा रहे परंपरा, 500 पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश

भदवा सरपंच बगदीराम गुर्जर की अनूठी पहल, रक्षाबंधन पर बहनों का बस किराया खुद भरते हैं

मनासा। विकासखंड मनासा के ग्राम भदवा के सरपंच बगदीराम गुर्जर द्वारा पिछले 12 वर्षों से अनूठी पहल की जा रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए गांव आने वाली बहनों से बसों में किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाता, बल्कि उनका बस किराया सरपंच बगदीराम गुर्जर स्वयं वहन करते हैं।

रक्षाबंधन के दिन ग्राम भदवा के बस स्टैंड पर जब बहनें बसों से अपने मायके पहुंचती हैं तो उन्हें किराया देने की चिंता नहीं रहती। सरपंच की ओर से बस संचालकों को बहनों का किराया उपलब्ध करवाया जाता है। पर्व के अवसर पर की जाने वाली इस पहल से बहनों में भी खुशी का माहौल रहता है और वे सरपंच की इस सेवा भावना की सराहना करती हैं। उनका कहना है कि रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक पर्व पर इस प्रकार की पहल भाई-बहन के रिश्ते की आत्मीयता को और मजबूत करती है। सरपंच बगदीराम गुर्जर का कहना है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। इसी भावना के साथ उन्होंने 12 वर्ष पहले बहनों का बस किराया स्वयं वहन करने की शुरुआत की थी, जो आज भी निरंतर जारी है। उनका उद्देश्य किसी प्रकार का प्रचार करना नहीं, बल्कि पर्व के अवसर पर बहनों को सुविधा उपलब्ध करवाना और समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में सरपंच द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण पहल की गई। रक्षाबंधन के अवसर पर करीब 700 बहनों का किराया एवं 500 पौधों का वितरण कर बहनो को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। बहनों एवं ग्रामीणों को पौधे वितरित करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने का संदेश दिया गया। पौधों के वितरण के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण तैयार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। गांव में एक ओर जहां बहनों के लिए रक्षाबंधन पर बस किराया माफ कर सेवा की मिसाल कायम की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। सेवा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इन दोनों पहलों को ग्रामीणों ने सराहनीय बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि यदि सामाजिक जिम्मेदारी को इसी तरह प्राथमिकता दें तो गांव में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। वर्षों से निरंतर जारी बहनों का बस किराया स्वयं वहन करने की परंपरा और 500 पौधों के वितरण की पहल ने ग्राम भदवा के सरपंच बगदीराम गुर्जर की सेवा भावना को एक अलग पहचान दी है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर की गई इस पहल की क्षेत्र में भी चर्चा हो रही है।

घर में अवैध अफीम रखने वाले आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

मनासा। दिनेश कुमार प्रजापति, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) मनासा, जिला-नीमच द्वारा अपने निर्णय में वैध लाईसेंस के अतिरिक्त 25 किलो 850 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का तस्करी किये जाने के उद्देश्य से घर में संग्रह करने वाले आरोपी मूलचंद पिता मोहनलाल मेघवाल, उम्र-42 साल, निवासी-ग्राम खेड़ली, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 19 मार्च 2020 को सुबह के लगभग 9 बजे ग्राम खेड़ली स्थित आरोपी के घर की हैं।

कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मूलचंद द्वारा अफीम पट्टों से उत्पादित वैध अफीम के अतिरिक्त 20 से 30 किलोग्राम अवैध अफीम तस्करी के उद्देश्य से घर में छिपा रखी हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर ग्राम खेड़ली स्थित आरोपी के घर पर पँहुच कर उसके घर की तलाशी लिये जाने पर घर में अफीम की चार बाल्टियां मिली जो कि आरोपी स्वयं मूलचंद, उसके पिता मोहनलाल, गंगाबाई एवं दाखीबाई के अफीम लायसेंस से उत्पादित अफीम होना पाया गया। इसके बाद मकान में उसी कमरे में पलंग के नीचे प्लास्टिक की तीन बाल्टियां मिली थी, जिसमें क्रमशः 11.700 किलोग्राम, 9.900 किलोग्राम, 4.250 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 25.850 किलोग्राम अफीम मिली, जो कि सरकार द्वारा दिये गये लायसेंस से उत्पादित एवं विभाग में दर्ज वैध अफीम के अतिरिक्त था। इस प्रकार आरोपी के पास वैध लाईसेंस के अतिरिक्त तस्करी हेतु अवैध मादक अफीम संग्रहित होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया व अफीम को जप्त किया गया। इसके पश्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता अरूण कुमार शर्मा एवं दिपशीखा रावल द्वारा किया गया।

165 बंदियों की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र

धार। रक्षा बंधन के पावन पर्व पर जिला जेल धार में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निरूद्ध 160 पुरुष बंदियों की कलाई पर उनकी बहनों तथा 5 महिला बंदियों के भाइयों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया। जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जेल प्रबंधन द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। निर्धारित व्यवस्था के तहत बंदियों के परिजनों को उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई गई।रक्षाबंधन के अवसर पर कुल 506 परिजनों एवं 178 बच्चों ने जिला जेल पहुंचकर बंदियों से प्रत्यक्ष मुलाकात की।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा मक़सूद मोहम्मद पिता शाकुर मोहम्मद से उनके मालीकी, स्वत्व आधिपत्य एवम कब्जे की सम्पत्ति जो की मकान / प्लाट क्रं. 34 (पुराना) 15 (नया), वार्ड क्र. 17, महात्मा गाँधी मार्ग, तहसील व जिला धार (म.प्र.) जिसका कुल क्षेत्रफल 806.00 Sq. Ft. (74.90 Sq. Mtr.). स्थित होकर को क्रय किया जा रहा है यह की उक्त सपत्ति मक़सूद मोहम्मद पिता शाकुर मोहम्मद को वसियती तौर पर नगर परिषद् धार द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रं. 546/Revenue//2026 दिनाक 24.07.2026 के द्वारा नामांकन हो कर प्राप्त हुआ था, यह की उक्त सपत्ति इसके पूर्व स्वामी दादू खां पिता गुलमोहम्मद जी रंगरेज़ द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 17.09.1973 से जरये क्रय किया गया जो उनकी मृत्यु के पश्चात् मक़सूद मोहम्मद पिता शाकुर मोहम्मद को वारिस के तौर पर प्राप्त हुआ है। यह की मक़सूद मोहम्मद पिता शाकुर मोहम्मद, दादु खा पिता गुलमोहम्मद जी रंगरेज़ के एक लोते वारिस हैं। यह की उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार द्वारा मक़सूद मोहम्मद पिता शाकुर मोहम्मद से क्रय कर SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED में बंधक (MORTGAGE) रखकर लोन लिया जा रहा है।

यह की, उक्त सपत्ति के सम्बन्ध में यदि कोई भी अन्य व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार या आपत्ति हो तो या उक्त संपत्ति का कोई और वारिस हो तो उक्त जाहिर सुचना के प्रकाशन के 07 दिवस में मय दस्तावेज प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में आकर आपत्ति प्रस्तुत करे, उपरोक्त अवधि के पश्चात् किसी भी उजर आपत्ति मान्य नही होगी सूचित हो। इन्दौर दिनांक : 26.08.2026

अजय सेंधव (अभिभाषक)

105-106, फर्स्ट फ्लोर ऑर्बिटमॉल, इन्दौर (म.प्र.) मो.नं. 97534-41943